समक्ष अजय तिवारी, न्यायमूर्ति

कपिल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य- प्रतिवादी

2017 का सी डब्ल्यूपी नंबर 9683

05 मई, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-आवेदन के साथ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी दाखिल करना अवैध है या नहीं? - ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को कुछ दिनों के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी थी-हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.04.2016 थी-याचिकाकर्ता ने इसे 15.03.2016 को सामान्य डाक के माध्यम से भेजा था - याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि एक बार जब उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन आवेदनों के विकल्प का सहारा लिया था, तो प्रतियां भेजने का कोई तर्क नहीं था - याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि केवल इसलिए कि चयन निकाय ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी है, इसके लिए प्रमाण पत्रों के साथ हार्ड प्रतियां जमा करने की आवश्यकता भी अवैध होगी। इसके अलावा, यह भी अंतिम दृष्टि नहीं हो सकती है कि याचिकाकर्ता, विज्ञापन के प्रकट होने पर शर्त को चुनौती नहीं देता है। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(पैरा 4)

अजय तिवारी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता ने उसे चयन में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को चुनौती दी है।

(2) आधार यह था कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को कुछ दिनों के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता की हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय तक नहीं पहुंची।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6.4.2016 थी और याचिकाकर्ता ने इसे 15.3.2016 को भेजा था (हालांकि सामान्य डाक द्वारा। उनके अनुसार, एक बार जब उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के विकल्प का सहारा लिया, तो हार्ड कॉपी भेजने का कोई औचित्य नहीं था।

(4) यह तर्क, हालांकि पहली नज़र में आकर्षक लगता है, लेकिन एक से अधिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, विज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ, आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न की जानी थीं और ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां जमा करने का कोई प्रावधान नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि एक बार

जब किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति मिल जाती है, तो उसके लिए अपने प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां भेजना भी मुश्किल नहीं होता है। यह एक वैध सुझाव हो सकता है लेकिन मेरे सामने मुद्दा यह है कि क्या हार्ड कॉपी दाखिल करने की आवश्यकता अवैध है। मेरी राय में, यह नहीं माना जा सकता है कि केवल इसलिए कि चयन निकाय ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी है, इसके लिए प्रमाण पत्रों के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता भी अवैध होगी। इसके अलावा, यह भी याद नहीं किया जा सकता है कि जब विज्ञापन आया तो याचिकाकर्ता ने इस शर्त को चुनौती नहीं दी थी। बल्कि, अपने तरीके से, उन्होंने इसका पालन किया और यह केवल इसलिए है क्योंकि उनकी हार्ड कॉपी कथित रूप से डाक विभाग द्वारा वितरित नहीं की गई थी, जिसे उन्होंने इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। इस संबंध में भी विज्ञापन में ही इस प्रकार स्पष्ट किया गया थाः-"5. हरियाणा लोक सेवा आयोग डाक विभाग या कूरियर एजेंसियों की ओर से किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।

(5) इन परिस्थितियों में, मुझे याचिकाकर्ता को कोई राहत देने में असमर्थता पर खेद है। 2017 की दो रिट याचिकाओं सी डब्ल्यूपी संख्या 7229 और 7553 के एक समूह में, मनोज कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, और रिंकू और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य, 24.4.2017 को निर्णय लिया गया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

विज्ञापन में दी गई उम्मीदवारी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि आवेदन की हार्ड कॉपी 22.1.2016 को या उससे पहले जमा करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के पास यह दिखाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं कि उन्होंने 22.1.2016 से पहले अपनी हार्ड कॉपी जमा कर दी है। इसलिए, आवश्यक सामग्री के अभाव में, याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

तदनुसार, याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(6) मेरे लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करना अनुचित नहीं हो सकता है कि क्या किसी ऐसे विकल्प का उपयोग किया जा सकता है जिससे नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने और फिर हार्ड कॉपी भेजने के लिए मूल्यवान कागजों की बर्बादी की दोहरी परेशानी से गुजरना न पड़े। प्रत्यर्थी संख्या 2 इस तथ्य को भी ध्यान में रखेगा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है और अंतिम नियोक्ता द्वारा किसी भी उम्मीदवार के चयन की स्थिति में, निश्चित रूप से सभी दस्तावेजों को सत्यापन के लिए भेजा जाता है। अन्यथा भी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश भर की सरकारें यह दावा कर रही हैं कि नागरिकों पर अविश्वास करने की पहले की औपनिवेशिक मानसिकता को अब समाप्त किया जा रहा है और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां सरकार ने दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन की अनुमति दी है। इस अधिक मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतिवादी संख्या 2 के लिए यह विचार करना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है कि क्या कोई ऐसी प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती है जिसके तहत केवल ऑनलाइन आवेदनों की आवश्यकता होती है और बाद के चरण में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जांच जांच की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है (जिसका कई मामलों में सहारा भी लिया जाता है।

(7) इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।

(8) चूंकि मुख्य मामले का निर्णय हो चुका है, इसलिए लंबित सी. एम., यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।